कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, देवरिया।

पत्रांक 253 /7-पं0/स्व0भा0मि0(ग्रा0)/2023-24 दिनांक 18 अप्रैल, 2024

समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0),
जनपद देवरिया।

विषय- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के दृष्टिगत निर्मित /सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/संचालन व अभिलेखीकरण के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 के पत्र संख्या 5/1149/2023-5/35/2022 लखनऊ दिनांक 07 अगस्त, 2023 का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 अन्तर्गत देश के समस्त ग्रामों को ओ0डी0एफ0प्लस की माडल ग्राम श्रेणी में ले जाना लक्षित है। ओ0डी0एफ0प्लस अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन किया जाना प्रमुख घटक है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 1040/33-3-2021-116/ 2020 दिनांक 22.06.2021 तथा पत्र संख्या 4076/33-3-2023 दिनांक 11.01.2023 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत विस्तृत निर्देश दिए गये हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों में आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई- रिक्शा, वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट, नाडेप/खाद गड्ढे, सार्वजनिक कचरा पात्र आदि कार्य निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

2-वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चयनित 5321 ग्राम पंचायतों के लिये राज्य स्तर से की जा रही समीक्षा एवं भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये उपरोक्तानुसार सृजित परिसंपत्तियों के समुचित संचालन/रख-रखाव तथा विभिन्न प्रकार के अभिलेखीकरण में एक रुपता नहीं है।

3-ग्राम पंचायतों/ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस घोषित करने एवं स्थिरता के दृष्टिगत निर्मित करायी जा रही परिसम्पत्तियों मुख्यतः आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ ई-रिक्शा के संचालन/रख-रखाव एवं अभिलेखीकरण तथा इससे अपना व्यय भार स्वयं वहन करने हेतु सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाये जाने की आवश्यकता हेतु निर्देशित किया गया है-

i. ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर, दुकान सार्वजनिक कचरा पात्रों, बाजार आदि से नियमित कचरे का एकत्रीकरण निर्धारित वाहन/ई-रिक्शा के माध्यम से किया जायेगा।

ii. कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा का संचालन एवं घर-घर से कूड़ा संग्रहण का उत्तरदायित्व ग्रामों में तैनात सफाई कर्मचारी को दिया जाना उपयुक्त होगा। ऐसे ग्राम जहां सफाई कर्मियों की तैनाती नहीं है, वहां ग्राम पंचायत में कार्यरत स्वयं सहायता समूह अथवा आवश्यकतानुसार श्रमिक तैनात कर इस कार्य को किया जायेगा।

iii. आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के समस्त कार्यों यथा-छटनी, कम्पोस्टिंग आदि के लिए स्वयं सहायता समूह के चयन के दृष्टिगत शासेनादेश संख्या 1758 दिनांक 15.07.2020 के द्वारा जिन स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक शौचालयों के संचालन का दायित्व सौंपा गया है, प्राथमिकता पर उनका चयन उनकी सहमति से किया जाये। स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत अन्य स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत में कार्यरत अन्य समूह के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है।

iv. छंटनी के बाद जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री गांव में ही निस्तारित हो सकती है। ऐसी सामग्री को वर्मी कम्पोस्ट खाद, गड्ढा आदि के माध्यम से निस्तारण के लिए दायित्व निर्धारित किया जायेगा जो सामग्री जैसे प्लास्टिक, लोहा, मेटल कांच आदि का निस्तारण गांव में नहीं हो सकता। उसे गांव से ले जाने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह से भी समन्वय स्थापित कर दायित्व सौंपा जायेगा।

v. पर्याप्त जनजागरुकता फैलाकर प्रत्येक घर/दुकान से कूड़ा संग्रहण शुल्क लिया जायेगा। शुल्क के सापेक्ष उन्हें निर्धारित रसीद उपलब्ध कराई जायेगी (रसीद का प्रारूप संलग्न) आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड में छंटनी के उपरान्त प्राप्त उपयोगी वस्तुएं एवं अकार्वनिक कचरे तथा प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि तथा कम्पोस्टिंग से तैयार खाद की

Scanned with CamScanner

बिक्री के साथ–साथ प्राप्त उपभोक्ता शुल्क की धनराशि को ओ0एस0आर0 बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियों के अनुरूप श्रमिकों/स्वयं सहायता समूहों पर होने वाले व्यय का समायोजन किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों में उक्त गतिविधि की आवश्यकतानुसार आय का सृजन नहीं हो सकेगा, वहां यथावश्यक नियमानुसार वित्त आयोग/मनरेगा आदि की धनराशि से गतिविधियां संचालित की जायेंगी।

vi. कचरा एकत्रीकरण/वाहन ई–रिक्शा का रुट चार्ट, चालक का नाम नम्बर तथा कचरा कलेक्शन का समय आदि ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों तथा विशेषकर आर0आर0सी0 /वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, पंचायत भवन पर वाल पेन्टिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा तथा लिखित रुप में संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा। कचरा एकत्रीकरण की गतिविधियों यथा रुट चार्ट के अनुसार कचरा संग्रहण, शुल्क संकलन आदि पर नियमित रिकर्ड कीपिंग के लिये लाग बुक/रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत पर तैनात सचिव ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक का होगा।

vii. ग्राम पंचायत में कूड़ा संग्रहण में शिकायत अथवा मांग हेतु एक नम्बर जारी किया जाये, जिस पर सामान्य जन फोन करके आकस्मिक/विशेष स्थिति की जानकारी दे सकें। इसका एक रजिस्टर भी ग्राम पंचायत पर संरक्षित किया जायेगा तथा निस्तारण की तिथि भी इस रजिस्टर में अंकित की जाएगी।

viii. ग्राम पंचायतों में कामर्शियल गतिविधियों एवं घरेलू स्तर पर कूड़ा संग्रहण हेतु पृथक–पृथक दरें ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित की जा सकती हैं। शुल्क संकलन हेतु ग्राम पंचायतों में ओ0एस0आर0 खाता के माध्यम से क्यूआर कोड का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उचित होगा कि ओ0एस0आर0 खाते से संबंधित क्यू0आर0 कोड को विशेष रूप से कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, प्रत्येक मजरे सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाये।

ix. ग्राम पंचायतों में तैयार की जा रही वर्मीकम्पोस्टिंग आदि का क्रियान्वयन स्वयं सहायता समूह/श्रमिकों/ग्राम पंचायत द्वारा किया जयेगा। इस हेतु किसानों से गोबर प्राप्त करने तथा वर्मी के विपणन की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है ग्राम पंचायतें चाहे तो गोबर लेने के लिए शुल्क अथवा गोबर के बदले वर्मी कंपोस्ट देने की भी व्यवस्था लागू कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये कि तैयार की जा रही है वर्मी कम्पोस्ट/खाद का विपणन प्लास्टिक की थैलियों में न किया जाय।

x. कचरा संग्रहण वाहन, आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के संचालन में लगे कर्मियो के लिए हाईजीन किट यथा एप्रेन, कैप, मास्क, सैनिटाइजर, बूट, इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड में फर्स्ट ऐड किट एवं साफ–सफाई की व्यवस्था की जायेगी।

xi. गांव के बाहर प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि की वस्तुएं ले जाने वाली संस्था/व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव कराकर आबद्ध किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत एवं उस व्यक्ति/संस्था के मध्य दरें अन्य सुविधाओं की शर्तें स्पष्ट करते हुए अनुबन्ध किया जायेगा।

xii. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रह कार्यों एवं कार्यरत कर्मियो के लिए दी जाने सुविधाओं का विधिवत वाल पेंटिंग आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड पर की जाएगी।

xiii. आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड एवं वाहन का नियमित अन्तराल पर मेन्टेनेन्स कराया जाएगा।

xiv. वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास से प्रदेश के समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड का संचालन एवं रख–रखाव के आधार पर रैंकिंग की जायेगी, जिसके अनुरूप पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

xv. गांव में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा तथा क्या करें, क्या न करें, से संबंधित बिन्दुओं की वाल राइटिंग/वाल पेन्टिंग सुनिश्चित की जायेगी।

xvi. हेजार्डस अपशिष्ट यथा डायपर, सैनेट्री पैड, मेडिकल वेस्ट–जैसे पट्टी, प्रयोग की गई सिरिंज, उपयोगी दवाएं आदि को अलग ही एकत्रित किया जाएगा तथा उचित संस्था/व्यक्ति के माध्यम से निष्पादन की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

Scanned with CamScanner

अतः उक्त के अनुपालन क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विकास खण्ड में निर्मित निर्माणाधीन प्रस्तावित समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के सुचारु रुप से संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था शासनादेशानुसार कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सर्वेश कुमार पाण्डेय)
जिला पंचायतराज अधिकारी
देवरिया।

पत्रांक तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, देवरिया।
2– जिलाधिकारी महोदय, देवरिया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

जिला पंचायतराज अधिकारी
देवरिया।

Scanned with CamScanner

अतः उक्त के अनुपालन क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विकास खण्ड में निर्मित निर्माणाधीन प्रस्तावित समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के सुचारु रुप से संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था शासनादेशानुसार कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सर्वेश कुमार पाण्डेय)
जिला पंचायतराज अधिकारी
देवरिया।

पत्रांक 243 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, देवरिया।
2– जिलाधिकारी महोदय, देवरिया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

18/4/2024
जिला पंचायतराज अधिकारी
देवरिया।

Scanned with CamScanner